न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2019

अपीलांट –

फूसाराम पुत्र दयाराम जाति जाट
निवासी पोषाल तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. हडुमानराम पुत्र भारूराम
2. लिछू पत्नी भारूराम
3. जोगाराम पुत्र चुतराराम
4. हरलाल पुत्र चुतराराम
5. चूनाराम पुत्र पुरखाराम
6. रामाराम पुत्र ठाकरराम
7. धापूदेवी पत्नी ठाकरराम
   जति जाट निवासी पोषाल तहसील
   चौहटन जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 634 दिनांक 25.05.2018 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10.10.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 634 दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि [illegible] रियाडर के खेत खसरा नबंर 102 एवं 104 रकबा क्रमशः [illegible] कुल रकबा 267–19 बीघा के खातेदारान हडुमान वल्द भारूराम लिछू [illegible] जोगाराम हरलाल पि0 चुतराराम फूसाराम वल्द दयाराम चूनाराम वल्द पुरखाराम रामाराम वल्द [illegible] धापूदेवी पत्नी ठाकरराम जाति जाट निवासी पोषाल ने दिनांक 25.05.2018 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बीजराड़ द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा खारियाडेर में जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 75 में हडुमान पुत्र भारूराम लिछू पत्नी भारूराम जोगाराम हरलाल पि0 चुतराराम फूसाराम वल्द दयाराम चूनाराम वल्द पुरखाराम रामाराम वल्द ठाकराराम धापूदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट निवासी बीजराड़ की रिकार्डेड खातेदारी की है। उनके द्वारा इकरारनामे में बताई गई भूमि एवं विवरण सही है। इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है, मौके पर उसके अनुसार की काबिज हैं। उक्त कृषि भूमि उक्त खातेदारों की पैतृक संपति है। संलग्न नक्शा में विभाजन किये जाने की सीमाऐं दर्ज हैं। अब प्रत्येक के हिस्से को अलग–अलग रंगों से दिखाये जा रहे हैं। बंटवारा एग्रीमेन्ट स्टाम्प 100 रूपये संलग्न हैं। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 634 दिनांक 25.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.01.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने अपीलाधीन पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा संख्या 102 एवं 104 कुल रकबा 267–15 बीघा भूमि को मौके पर कब्जा–काश्त तथा पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर पटवारी ने समस्त खेतों में विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट अनपढ़ व निरक्षर व्यक्ति होने के कारण उसने अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान विभाजन प्रस्ताव पर कर दिये। तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर भौतिक [illegible]श्त में भारी भिन्नता रखते हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं [illegible] तथा उपजाऊ भूमि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चली गई है। लिहाजा [illegible]के पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एक[illegible]य व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by LokBandhu
Date: 2023.01.02 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने हेतु सुड़ करने लगा तब रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 द्वारा मौके पर बंटवाडा अनुसार काबिज होकर की काश्त करेंगे। इस पर अपीलांट को अपने हक–हकूक संशयप्रद लग जिस पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव की प्रति दिनांक 14.12.2018 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम अपीलांट को गलत तरमीम के बारे में जानकारी हुई। जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि खारियाडेर के खेत खसरा नबंर 102 एवं 104 रकबा क्रमशः 82–07 एवं 185–12 बीघा कुल रकबा 267–19 बीघा के खातेदारान हडुमान वल्द भारूराम लिछू पत्नी भारूराम जोगाराम हरलाल पि0 चुतराराम फूसाराम वल्द दयाराम चूनाराम वल्द पुरखाराम रामाराम वल्द ठाकराराम धापूदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट निवासी पोषाल ने दिनांक 25.05.2018 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बीजराड़ द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा खारियाडेर में जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 75 में हडुमान पुत्र भारूराम लिछू पत्नी भारूराम जोगाराम हरलाल पि0 चुतराराम फूसाराम वल्द दयाराम चूनाराम वल्द पुरखाराम रामाराम वल्द ठाकराराम धापूदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट निवासी बीजराड़ की रिकार्डेड खातेदारी की है। उनके द्वारा इकरारनामे में बताई गई भूमि एवं विवरण सही है। इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है, मौके पर उसके अनुसार की काबिज हैं। उक्त कृषि भूमि उक्त खातेदारों की पैतृक संपति है। संलग्न नक्शा में विभाजन किये जाने की सीमाऐं दर्ज हैं। अब प्रत्येक के हिस्से को अलग–अलग रंगों से दिखाये जा रहे हैं तथा एग्रीमेन्ट स्टाम्प 100 रूपये संलग्न हैं। इस पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 634 दिनांक 25.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि हल्का पटवारी ने मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा विभाजन आवेदन तहसीलदार चौहटन से तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 634 दिनांक 25.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested